भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-33

उत्तर देने की तारीख-22/07/2026

विद्यालयों में छात्रों का प्रतिधारण और अधिगम परिणाम

33 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणालीः सामयिक विश्लेषण' संबंधी नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें उजागर किया गया है कि हर 10 में से 4 विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केवल 5.4 प्रतिशत विद्यालयों में ही कक्षा । से XII तक सतत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू होने के बावजूद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर के लगातार उच्च बने रहने और अधिगम के खराब परिणाम आने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश भर में और अधिक संयुक्त (कंपोजिट) विद्यालय स्थापित करने तथा विद्यालयों में छात्रों के प्रतिधारण और अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"विद्यालयों में छात्रों का प्रतिधारण और अधिगम परिणाम" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा दिनांक 22.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): नीति आयोग एक स्वायत्त निकाय है। नीति आयोग द्वारा जारी 'भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप' नामक रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की मुख्य रूप से वर्ष 2024-25 तक की यूडाइस+ रिपोर्टों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। यद्यपि, यह सूचित किया जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों के कारण, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ-साथ संक्रमण दर सहित यूडाइस+ के विभिन्न संकेतकों के तहत प्रदर्शन में वर्ष 2025-26 में सुधार हुआ है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात		पारगमन दर	स्कूल छोड़ने की दर
	माध्यमिक (9 से 10)	उच्चतर माध्यमिक (11 से 12)	माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (10-11)	माध्यमिक
2024-25	78.7	58.4	75.1	11.5
2025-26	81.5	61.7	78.1	9.5

स्रोत : यूडाइस+

(ख): यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि केंद्र सरकार स्कूल शिक्षा के लिए निरंतरता आधारित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसके अंतर्गत मूलभूत स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को समग्र रूप से देखा जाता है और इसमें एकीकृत स्कूल शिक्षा निरंतरता का सृजन, उच्चतर शिक्षा तक बढ़ा हुआ पहुँच शिक्षा के विभिन्न चरणों के बीच सुगम पारगमन स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना, पोषण संबंधी सहायता के माध्यम से बढ़ी हुई उपस्थिति मूलभूत अधिगम को सुदृढ़ बनाना, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार तथा बेहतर निगरानी एवं साक्ष्य आधारित योजना निर्माण सुनिश्चित करना है।

यद्यपि, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्तपोषित स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किस श्रेणी के स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, इसका निर्णय मुख्यतः राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा लिया जाता है। स्कूल की श्रेणी निर्धारित करते समय स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, अनुमानित नामांकन, मौजूदा स्कूलों की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का वितरण, स्थानीय मांग, अवसंरचना की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। यूडाइस+ 2025-26 के अनुसार, कक्षा 1 से 12 तक सतत शिक्षा उपलब्ध कराने वाले स्कूलों की कुल संख्या 83,185 (कुल स्कूलों का 5.67 प्रतिशत) कक्षा 1 से 12 तक के संयुक्त स्कूलों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	कुल	संयुक्त स्कूल (कक्षा 1 से 12)	प्रतिशत
2024-25	1471473	79980	5.43
2025-26	1466682	83185	5.67

स्त्रोत : यूडाइस+

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 से 12 तक के संयुक्त स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ): वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा के आरंभ तथा तदुपरांत वर्ष 2021-22 से इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप बनाए जाने के समय से, स्कूल शिक्षा तक पहुँच, साम्य, प्रतिधारण और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन केंद्र सरकार, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सहभागिता से चरणबद्ध एवं सतत प्रक्रिया है। यूडाइस+ आंकड़ों से यह परिलक्षित होता है कि हाल के वर्षों में स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों में सकल नामांकन अनुपात तथा पारगमन दर सहित सहभागिता संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है।

स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों तथा अधिगम परिणामों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित कुछ चुनौतियों में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, माता-पिता की निम्न साक्षरता, बच्चों पर घरेलू उत्तरदायित्वों, बच्चों में रुचि का अभाव, बच्चों का खराब स्वास्थ्य, प्रवासन, जेंडर संबंधी बाधाएँ तथा समुदाय की

अपर्याप्त सहभागिता आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार इन चुनौतियों के समाधान हेतु समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए डब्ल्यू पी एंड बी) के आधार पर स्कूल शिक्षा के अवसंरचना को सुदृढ़ करने और पहुँच, प्रतिधारण एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूल छोडने वाले बच्चों के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों अथवा समुदायों के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। प्रतिधारण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों तथा विद्यालयों में आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर क्रमिक रूप से किया जाता है तथा इसे उनकी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए डब्ल्यू पी एंड बी) में दर्शाया जाता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत किए जाने वाले मध्यवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जहां कहीं भी संयुक्त स्कूलों का प्रस्ताव भेजा जाता है, सहित स्कूलों की स्थापना एवं स्तरोन्नयन;

(ii) अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, आईसीटी तथा स्मार्ट कक्षाओं सहित स्कूल की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण;

(iii) पात्र क्षेत्रों में परिवहन एवं मार्गरक्षण सुविधाओं का प्रावधान;

(iv) निपुण भारत के अंतर्गत बालवाटिकाओं, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लिए सहायता;

(v) मानदंडों के अनुसार शिक्षक भर्ती सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण;

(vi) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, समावेशी शिक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श;

(vii) व्यावसायिक शिक्षा, कैरियर मार्गदर्शन तथा किशोर शिक्षा; और

(viii) शैक्षणिक सहायता एवं निगरानी के माध्यम से पारगमन, प्रतिधारण तथा अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए पहल।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी स्कूल परिसरों/समूहों को सुदृढ़ करने तथा जहाँ भी संभव हो, संयुक्त विद्यालयों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, ताकि स्कूल शिक्षा की निरंतरता, संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग तथा बेहतर परिणाम सुनिश्चित किया जा सके।

निरंतर अधिगम को सुगम बनाने के लिए, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा तथा अन्य पहलों के माध्यम से सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न मध्यवर्तनों के लिए सहायता प्रदान करती है, जिनमें प्रत्येक स्कूल को अनुकूल अधिगम वातावरण उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त स्कूल अनुदान; मौजूदा स्कूलों का स्तरोन्नयन; अतिरिक्त कक्षाओं के लिए निधि; विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल-कूद एवं शारीरिक कार्यकलापों के लिए अनुदान; राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी तथा डिजिटल पहलों के लिए सहायता; स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम; शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण आदि शामिल हैं।

प्रतिधारण में सुधार करने के लिए, इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए विद्यालयों को खोलने एवं उन्हें सुदृढ़ करने; स्कूल भवनों तथा अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, परिवहन भत्ता तथा नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाने; धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत असंतृप्त अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए छात्रावासों के निर्माण; शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति; विभिन्न गुणात्मक घटकों; शिक्षक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/खंड संसाधन केंद्रों/क्लस्टर संसाधन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण; तथा आईसीटी एवं डिजिटल मध्यवर्तनों के प्रावधान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त नामांकन हेतु विशेष प्रशिक्षण तथा आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों प्रकार के अपेक्षाकृत बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है (गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रति बच्चे प्रति वर्ष ₹ 6,000 तक तथा आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 20,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष तक का प्रावधान किया गया है) स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए सामयिक छात्रावासों अथवा आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों तथा परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा का भी प्रावधान उपलब्ध है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के 16-19 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण करने, पाठ्य सामग्री प्राप्त करने तथा प्रमाणन हेतु ₹ 2,000 प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत, देशभर के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (कक्षा-I से ठीक पहले) तथा कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सभी बच्चों को पका हुआ गर्म एवं पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यार्थी उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन, सहायक उपकरण एवं साधन, ब्रेल किट्स एवं पुस्तक, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत शहरी वंचित बच्चों, आवधिक प्रवासन से प्रभावित बच्चों तथा दूरस्थ एवं बिखरी हुई बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत, मध्यवर्तनों की योजना तैयार करते समय विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईईबी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों (एल डब्ल्यू ई) तथा आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए, समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षिक परिणामों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसेअन्य के साथ-साथ नई शैक्षणिक एवं पाठ्यचर्या संरचना (5+3+3+4) की शुरूआत, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा तथा मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आदि। यह योजना बालवाटिका के 3 वर्षों (प्री-स्कूल) से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा के संपूर्ण निरंतरता को आच्छादित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में बच्चों के विद्यालय जाने के समय से बेहतर अधिगम को सुगम बनाने के लिए प्रासंगिक अवधारणाओं के विकास तथा आवश्यक दक्षताओं की प्राप्ति पर

बल दिया गया है। समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 29 जुलाई, 2021 को कक्षा-1 के लिए 'विद्या प्रवेश' नामक 3 माह का खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल तथा दिशा-निर्देशों का आरंभ किया गया। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमियों से कक्षा-1 में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों में स्कूल तैयारी को बढ़ावा देना तथा आनंददायक एवं प्रेरणादायक वातावरण में खेल-आधारित, आयु एवं विकास के अनुरूप अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना है, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। 12 सप्ताह के इस मॉड्यूल में कक्षा-1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त निर्देश सम्मिलित किए गए हैं, जो बच्चों की साक्षरता-पूर्व, संख्यात्मकपूर्व संज्ञानात्मक एवं सामाजिक कौशलों को सुदृढ़ करने में सहायक हैं। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्या प्रवेश कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

'समझ पढ़ने और संख्यात्मकता में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल' नामक एक राष्ट्रीय मिशन का आरंभ दिनांक 5 जुलाई, 2021 को किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा-2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त कर सके। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निपुण भारत मिशन का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर देश भर में अधिगम एवं शैक्षिक परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु बड़े पैमाने पर आवधिक मूल्यांकन भी किए जाते हैं। हाल ही में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी द्वारा शिक्षा के मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9 में मूल्यांकित) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) 2024 किया गया था।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता संबंधी कौशलों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन ए एस) 2021 के अंकों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित होता है, जो एनईपी, 2020 के अंतर्गत शुरू किए गए निपुण भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

मूलभूत चरण (बालवाटिका के **3** वर्ष और कक्षा **1** और **2)** में अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए, मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) दिनांक **20** अक्टूबर, **2022** को जारी की गई थी, जो पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री (एलटीएम), आदि के लिए एक संरचना प्रदान करती है। तदनुसार, एनसीईआरटी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए बालवाटिका (प्री-स्कूल के **3** वर्ष) के लिए जादुई पिटारा और कक्षा **1** एवं **2** के लिए पुस्तकें विकसित और जारी की गई हैं। जादुई पिटारा एक बॉक्स है जिसमें मूलभूत चरण के लिए **53** अधिगम शिक्षण सामग्री (एलटीएम) उपलब्ध हैं। इसमें खिलौने, खेल, पहेलियाँ, कठपुतलियाँ, पोस्टर, फ्लैशकार्ड, कहानी कार्ड, छात्रों के लिए प्ले बुक सेट और शिक्षकों के लिए हैंडबुक सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, ई-जादुई पिटारा (ई-जेपी) दिनांक **10** फरवरी **2024** को शुरू किया गया था। ई-जेपी एक ऐप और वेबसाइट है जिसमें खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन किया गया है और यह प्रसार करने का एक माध्यम है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षकों और प्राचार्यों को प्रेरित करने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें बेहतर ढंग से शिक्षण करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ताकि वे छात्रों को विवेचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए तैयार कर सकें, निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) कार्यक्रम अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और प्राचार्यों की क्षमता बढ़ाना है जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, अधिगम आधारित शिक्षा, आईसीटी एकीकरण आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने और आदर्श स्कूलों का निर्माण और प्रदर्शन में मदद करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 2022 में पीएम श्री योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 14500 से अधिक मौजूदा सरकारी स्कूलों का स्तरोन्नयन करना है। ये स्कूल न केवल संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बल्कि समग्र और सुव्यवस्थित व्यक्तियों का निर्माण भी करेंगे।

*****